अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 6198 (E)w /पटना, दिनांक 6/11/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :– अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/निलंबित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निम्न संवेदकों के निबंधन को काली सूची में डाले जाने/निलंबित किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	मेसर्स रामजानकी कन्सट्रक्शन, स्टेडियम चौक, वार्ड नं०–02, मधुबनी निबंधन सं०–प्रथम (फर्म)–04 (भवन)/2010	भवन निर्माण विभाग	कार्यालय आदेश सं०–218 सहपठित ज्ञापांक–8576 (भ०) दिनांक– 20.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 05 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।
2.	मेसर्स जितेन्द्र कुमार पाठक प्रो०–जितेन्द्र कुमार पाठक, पिता–स्व० कामेश्वर पाठक, सगुना गाँधी मूर्त्ति, पो०–दानापुर कैन्ट, थाना–दानापुर, जिला–पटना नि0 सं0–द्वितीय (प्रो० फर्म) उत्क्रमित –36 (भवन)/2011	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–8416 (भ०) दिनांक 18.09.2017	संवेदक के निबंधन को अगले 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।
3.	श्री विजय कुमार, पिता–श्री राम स्नेही सिंह, ग्राम+पो०–बिन्दीडीह, थाना–सिलाव, जिला–नालन्दा (बिहार) पिन–803109 नि०सं०–प्रथम (व्यक्तिगत)–40 (भवन)/2014	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–8232 (भ०) दिनांक 12.09.2017	संवेदक के निबंधन को अगले 01 वर्ष के लिए निलंबित किया गया।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
6/11/17
(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 6198(E)w /पटना, दिनांक 6/11/17

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:–यथोक्त।

6/11/17
(लक्ष्मी नारायण दास)
6/11/17
SK

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUJEET KUMAR\BLACK LISTING DRAFT.DOCX

पत्रांकः–भवन– / अभि०प्र०(नि०)–01–निबंधन–377 / 2014.....8232(अ) दिनांक 12.9.17

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आदेश

संवेदक श्री विजय कुमार, पिता–श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0–बिन्दीडीह थाना–सिलाव, जिला–नालंदा (बिहार) पिन कोड–803109 निबंधन सं0–प्रथम(व्यक्तिगत)–40 (भवन)/2014 को संयुक्त प्रखंड कार्यालय, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के निर्माण कार्य करने हेतु आवंटित किया गया। विजय कुमार द्वारा समर्पित पूर्णता प्रमाण पत्र की जाँच राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता BSIDC द्वारा दिनांक–14.12.2016 को करायी गयी, जिसमें संवेदक द्वारा समर्पित पूर्णता प्रमाण पत्र गलत पाया गया।

दिनांक–27.12.2016 को विभागीय निविदा समिति की बैठक में उक्त संवेदक के विरूद्ध गलत पूर्णता प्रमाण पत्र समर्पित करने के आरोप में कार्रवाई करने तथा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 की कंडिका–11(vii) के तहत संवेदक का नाम कालीसूची में डाल दिये जाने की अनुशंसा की गयी। इस संबंध में संवेदक के विरूद्ध मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग,के पत्रांक–564 दिनांक–15.03.2017 द्वारा विभागीय निविदा समिति की दिनांक–27.12.2016 को हुई बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधानों के तहत नियमानुकुल कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक–4099 दिनांक–17.05.2017 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। निलंबन/कालीकरण सूची में डालने के निमित दिनांक–19.05.2017 को संपन्न बैठक में संवेदक से जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक–5295 दिनांक–12.06.2017 द्वारा संवेदक से पुनः स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे पुनः पत्रांक–6772 दिनांक–01.08.2017 द्वारा स्मारित किया गया। इसके बावजूद स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त– सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–21.08.2017 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी।। उक्त बैठक में संवेदक विजय कुमार, पिता–श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0–बिन्दीडीह थाना–सिलाव जिला–नालंदा (बिहार) पिन कोड–803109 निबंधन सं0–प्रथम (व्यक्तिगत)–40 (भवन)/2014 को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री विजय कुमार, पिता–श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0–बिन्दीडीह थाना–सिलाव जिला–नालंदा (बिहार) पिन कोड–803109 का निबंधन सं0–प्रथम(व्यक्तिगत)–40 (भवन)/2014 को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

ह0/– 8/9/17
––अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन/अभि0प्र0(नि0)–01–निबंधन–377/2014......8232(अ) पटना, दिनांक–12.9.17

प्रतिलिपिः–श्री विजय कुमार, पिता–श्री राम स्नेही सिंह,, ग्रा0+पो0–बिन्दीडीह थाना–सिवाल जिला–नालंदा (बिहार) पिन कोड–803109 जिला निबंधन सं0–प्रथम(व्यक्तिगत)–40 (भवन)/2014 बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/– 8/9/17
–– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन/अभि०प्र०(नि०)–01–निबंधन–377/2014...............8232(अ) पटना, दिनांक–..12.9.17..

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, विक्रमगंज (रोहतास)/ सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

पत्रांकः—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—06—डिबार / कालीकृत—02 / 2016.......8416(अ) दिनांक 18.9.17

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

मेसर्स जितेन्द्र कुमार पाठक, प्रो0—जितेन्द्र कुमार पाठक, पिता—स्व0 कामेश्वर पाठक, सगुना गाँधी मूर्ति, पो0—दानापुर कैंट, थाना—दानापुर, जिला—पटना, जिनका निबंधन सं0—द्वितीय (प्रो0—फर्म)उत्क्रमित—36(भवन) / 2011 के द्वारा जिला कृषि भवन औरंगाबाद के निर्माण कार्य ससमय पूरा नहीं किया गया। उक्त कृत्य के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद के पत्रांक—1119 दिनांक—25.11.2014 एवं मुख्य अभियंता (दक्षिण) के पत्रांक—766 दिनांक—02.08.2016 द्वारा मेसर्स जितेन्द्र कुमार पाठक, प्रो0—जितेन्द्र कुमार पाठक, पिता—स्व0 कामेश्वर पाठक, सगुना गाँधी मूर्ति, पो0—दानापुर कैंट, थाना—दानापुर, जिला—पटना को कालीसूची में डालने की अनुशंसा की गयी।

निबंधित

अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में दिनांक—23.09.2016 को निलंबन / कालीकरण सूची में डालने के निमित संपन्न बैठक में संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक—10299(भ0) दिनांक—20.10.2016,पत्रांक—11344 दिनांक—24.11.2016 एवं पत्रांक—4100 दिनांक—17.05.2017 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में दिनांक—19.05.2017 को हुई बैठक में प्रेस विज्ञाप्ति दिनांक—28.06.2017 के प्रभात खबर समाचार पत्र के माध्यम से संवेदक को सूचना दी गयी।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक—21.08.2017 को कालीकृत / निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में मेसर्स जितेन्द्र कुमार पाठक, प्रो0—जितेन्द्र कुमार पाठक, पिता—स्व0 कामेश्वर पाठक, सगुना गाँधी मूर्ति, पो0—दानापुर कैंट, थाना—दानापुर, जिला—पटना, निबंधन सं0—द्वितीय(प्रो0—फर्म)उत्क्रमित—36(भवन) / 2011 को तत्काल प्रभाव से 10(दस) वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया।

अत; बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में मेसर्स जितेन्द्र कुमार पाठक, प्रो0—जितेन्द्र कुमार पाठक, पिता—स्व0 कामेश्वर पाठक, सगुना गाँधी मूर्ति, पो0—दानापुर कैंट, थाना—दानापुर, जिला—पटना, निबंधन सं0—द्वितीय (प्रो0—फर्म) उत्क्रमित—36 (भवन) / 2011 को तत्काल प्रभाव से 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक— भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—06—डिबार / कालीकृत—02 / 2016...8416(अ) पटना, दिनांक—18.9.17

प्रतिलिपिः—मेसर्स जितेन्द्र कुमार पाठक, प्रो0—जितेन्द्र कुमार पाठक, पिता—स्व0 कामेश्वर पाठक, सगुना गाँधी मूर्ति, पो0—दानापुर कैंट, थाना—दानापुर, जिला—पटना, निबंधन सं0—द्वितीय (प्रो0—फर्म)उत्क्रमित—36 (भवन) / 2011 बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—06—डिबार / कालीकृत—02 / 2016....8416(अ) पटना, दिनांक—18.9.17

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–06–डिबार / कालीकृत–02 / 2016.....8416(अ).....पटना, दिनांक–18.9.17

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आप अपने स्तर से उक्त संवदेक के विरूद्ध नियमावली 2007 के अनुरूप समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–06–डिबार / कालीकृत–02 / 2016.....8416(अ).....पटना, दिनांक–18.9.17

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

कम्प्यूटरीकृत आ...
पंजीयन संख्या
219261
18/10/17

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ० सं० भवन-13/अभि०प्र०(यो०)-02-विविध-156/2011...218.... पटना, दिनांक-...20.9.17

कार्यालय आदेश

संवेदक, मेसर्स रामजानकी कन्स्ट्रक्शन ,स्टेडियम चौक, वार्ड नं0-02, मधुबनी के निबंधन संख्या-प्रथम(फर्म)-04(भवन)/2010 के निबंधन को विभागीय ज्ञापांक-10665(भ), दिनांक-26.12.2012 द्वारा काली सूची में डाली गयी है।

मेसर्स रामजानकी कन्स्ट्रक्शन, स्टेडियम चौक, मधुबनी के कालीकृत के संबंध में सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा सुनवायी की गयी, सुनवायी के उपरान्त लोकहित में मेसर्स रामजानकी कन्स्ट्रक्शन को न्यायोचित मानते हुए अपील आवेदन को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-210 दिनांक-19.08.2013 ज्ञापांक-11467(भ), दिनांक-19.08.2013 के द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निष्पादित किया गया।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-21.08.2017 को कालीकृत/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संवेदक, मेसर्स रामजानकी कन्स्ट्रक्शन, स्टेडियम चौक, वार्ड नं0-02, मधुबनी के निबंधन संख्या-प्रथम(फर्म)-04(भवन)/2010 को दिनांक-26.12.2012 के प्रभाव से 05 (पाँच) वर्ष के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0/-
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः- पटना, दिनांकः-

निबंधित

प्रतिलिपिः- संवेदक, मेसर्स रामजानकी कन्स्ट्रक्शन, स्टेडियम चौक, वार्ड नं0-02, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः- 8576(भ) पटना, दिनांकः- 20.9.17

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/9/17
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

4310